उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–9
संख्या–3001/दो–9–2017–11(5)/2017
लखनऊ : दिनांक : 13 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

श्री प्रेम प्रकाश तिवारी, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 15.06.2017 एवं जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्र दिनांक 07.11.2017 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (उ0प्र0) नियमावली 1985 के नियम–16(1) (क)(बी) सपठित नियम–17(1)(क) के अधीन उनके सामान्य जी0पी0एफ0 खाता संख्या–जी0ए0यू0/80878 से पुत्री के विवाह में व्यय वहन हेतु रू0–10,00,000/–(रूपये दस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नही होगी।

(2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।

(3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या–3001(1)/दो–9–2017, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

पंजीकृत– 1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, निधि–24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सम्परीक्षा अधिकारी–कास (VIII) फण्ड महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– जिलाधिकारी फतेहपुर।
4– मुख्य कोषाधिकारी फतेहपुर।
5– श्री प्रेम प्रकाश तिवारी, उपजिलाधिकारी, फतेहपुर।
6– नियुक्ति अनुभाग–7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

GPF-IAS/PCS Fina
l